



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228757
CG-DL-E-05082021-228757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2904]
No. 2904]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SRAVANA 13, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 20021

का.आ. 3130(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे तदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4309(अ), तारीख 26 नवम्बर 2020, भारत के राजपत्र सं. 3791 तारीख 2 दिसम्बर 2020, में प्राकृतिक की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला – गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील बॉसगांव जिला गोरखपुर में एल.पी.जी. गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना सम्बन्धित भू-स्वामियों को तारीख 06 मार्च 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का निश्चय किया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला गोरखपुर		राज्य उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
बाँसगांव	पतरहठा	244	00	00	66
		219	00	00	20
		223	00	10	94
		221	00	01	26
		196	00	02	47
		197	00	07	40
		198	00	05	55
		173	00	00	46
		170	00	08	90
		146	00	06	85
		142	00	00	33
		139	00	03	20
		137	00	01	83
		136	00	02	45
		135	00	02	29
		134	00	04	01
		132	00	02	73
		131	00	04	37
		130	00	03	63
		29	00	00	59
		28	00	06	25
		26	00	11	08
		27	00	05	05
		39	00	05	21

1	2	3	4	5	6
		42	00	03	48
		43	00	00	55
		44	00	03	75
		49	00	03	32
		50	00	02	29
बाँसगांव	मठिया	36	00	09	17
		75	00	10	31
		74	00	02	54
		73	00	00	38
		72	00	14	24
		58	00	02	31
		56	00	00	92
		53	00	09	39
		54	00	03	38
		55	00	02	37
बाँसगांव	भभौरा	83	00	02	19
		86	00	00	91
		85	00	02	31
		84	00	04	25
		82	00	02	82
		81	00	01	35
		79	00	08	03
		78	00	00	49
		74	00	07	47
		73	00	00	66
		72	00	00	20
		71	00	03	76
		70	00	02	54
		26	00	03	51
		67	00	07	73
		41	00	00	71
		39	00	03	83
		40	00	02	27

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2021

S.O. 3130(E).— Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 4309 (E) Dated 26 November 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 3791 dated 2 December 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline” for the transportation of LPG in Bansgaon Tehsil of Gorakhpur District in the state of Uttar Pradesh by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 06th March 2021 and whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Gorakhpur		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
BANSGAON	PATARHATHA	244	00	00	66
		219	00	00	20
		223	00	10	94
		221	00	01	26
		196	00	02	47
		197	00	07	40
		198	00	05	55
		173	00	00	46
		170	00	08	90
		146	00	06	85
		142	00	00	33
		139	00	03	20
		137	00	01	83
		136	00	02	45
		135	00	02	29
		134	00	04	01
		132	00	02	73
		131	00	04	37
		130	00	03	63

1	2	3	4	5	6
		29	00	00	59
		28	00	06	25
		26	00	11	08
		27	00	05	05
		39	00	05	21
		42	00	03	48
		43	00	00	55
		44	00	03	75
		49	00	03	32
		50	00	02	29
BANSGAON	MATHIYA	36	00	09	17
		75	00	10	31
		74	00	02	54
		73	00	00	38
		72	00	14	24
		58	00	02	31
		56	00	00	92
		53	00	09	39
		54	00	03	38
		55	00	02	37
BANSGAON	BHABHAURA	83	00	02	19
		86	00	00	91
		85	00	02	31
		84	00	04	25
		82	00	02	82
		81	00	01	35
		79	00	08	03
		78	00	00	49
		74	00	07	47
		73	00	00	66
		72	00	00	20
		71	00	03	76
		70	00	02	54
		26	00	03	51
		67	00	07	73
		41	00	00	71
		39	00	03	83
		40	00	02	27

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.